रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937

No. 254] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि.315(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनयम, 1980 (1980 का 56) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी सचिव (र्निवाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 10अ के अधीन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के परिषद् के लिए दिसंबर, 2014 में आयोजित र्निवाचन के मामले में उत्पन्न विवादों का विनिश्चय करने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित अधिकरण की स्थापना करती है, अर्थात् :--

(1)	श्री डी.भारद्वाज, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली-110001	पीठासीन अधिकारी
(2)	श्री आर. अशोकन, सलाहकार (लागत) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110001	सदस्य
(3)	श्री ए.के. चतुर्वेदी, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ए-14, सैक्टर-1, नोएडा	सदस्य

2. अधिकरण को सचिवालीय सहायता कारपोरेट मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 3(3)/प्रकीर्ण/2015/पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 315 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and in pursuance of rule 3 of the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby establishes a Tribunal Consisting of the following persons to decide the disputes arising under Section 10 A of the Act in the matter of election to the Council of the Institute of Company Secretaries of India held in December, 2014, namely :—

(i)	Shri D. Bhardwaj, Joint Secretary and Legal Advisor, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001	Presiding Officer
(ii)	Shri R. Ashokan, Advisor (Cost), Ministry of Corporate Affairs, Paravaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 001.	Member
(iii)	Shri A. K. Chaturvedi, Regional Director (Northern Region), Ministry of Corporate Affairs, A-14, Sector-1, Noida.	Member

2. Secretarial Assistance to the Tribunal shall be provided by the Ministry of Corporate Affairs.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3 (3)/Misc/2015/PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.